



न्यायालय राज्यव मण्डल म. पु. ग्रा. लिपर
पु.कृ. II | पुनर्स्थापित दतिया भू-रा। २०१३। १९८०

१. रतीराम फोत द्वारा वैय वारिस हरीमोहन
सुरेन्द्र सिंह, जाहर सिंह पुत्रगण रतीराम
निवासी ग्राम गौदन तह. भाँडेर जिला दतिया
राजासिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम
गौदन तह. भाँडेर जिला दतिया म.पु.
--- आवेदकगण

विलम्ब

१. हुक्म सिंह पुत्र धान सिंह निवासी ग्राम गौदन
तह. भाँडेर जिला दतिया
२. म. पु. शासन --- अवेदकगण

पुनर्स्थापन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ९, नियम ३२ म.पु.भू. रा.स.

श्रीमान जी,

निवेदन निम्न प्रकार है:-

१. यह कि, उक्त प्रकरण श्रीमान के सम्झा दिनांक ३. ११.१६ को कार्यवाही
देतु नियत था किन्तु माननीय पीठासीन संदर्भ द्वारा मेरे अधिकारियों
को पुकार ना लगाकर मनमाने तरीके से प्रकरण छारिज कर दिया
द्वारा द्वारा दिनांक ३०.६.१७ को कार्यवाही की जानकारी नहीं
यह कि, हम आवेदकगणों को प्रकरण में कार्यवाही की जानकारी नहीं
थी इस कारण दिनांक १८.४.१७ को ग्राम में चारों के दोरान हमको
पता चला तब हम दिनांक १९.४.१७ को माननीय राज्यव मण्डल गये
तथा अपने अधिकारियों की तलाश कर विवादित आवेदन की नकल देतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक २४.६.१७ को नकल प्राप्त होने
पर पुनर्स्थापन आवेदन पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत है।

अतः निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाका
प्रकरण में दिनांक ३०.६.१७ की कार्यवाही निरस्त कर प्रकरण को गुणवोष्ठी पर
दिनांक ३०.६.१७ द्वारा द्वारा हरीमोहन आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
 प्रकरण क्रमांक II | पुस्ति | दिनांक 2017.1.9.80.....
 जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/8/18	<p>मानविक समिति ग्राम- ८१२४० का इनाम उपरी झील के बड़े जलाधारा भूमि के बहुमिति ३/१/११६ के आधिकारिक फैसला विभागीय विभाग द्वारा जमीन का नियन्त्रण करने के लिए दिया गया ग्राम- ८१२४० का इनाम- १०२८ फौटो द्वारा विभागीय योग्य नियन्त्रण के लिए यहाँ आया नहीं आवश्यक नहीं आवश्यक द्वारा विभागीय योग्य नियन्त्रण के लिए</p> <p style="text-align: right;">संक्षेप</p>	